संचिका सं0–10 / पद सृजन–20–04 / 2014......1086......(10)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

शेखर चन्द्र वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:– वित्त विभाग ।

पटना, दिनांक– 21-01-15

विषयः– **गया जिला के खिजरसराय प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महकार, जहानाबाद जिलान्तर्गत रतनीफरीदपुर प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शकुराबाद तथा पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा–II प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाल्मिकीनगर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमित करते हुए IPHS मानक के अनुसार विभिन्न कोटि के कुल 28x3=84 (चौरासी) अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में ।**

आदेशः– **स्वीकृत ।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य की जनता को स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील एवं कृत संकल्पित है । भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक (IPHS) के अनुसार सामान्य क्षेत्र में एक लाख बीस हजार की आबादी पर तथा पिछड़े / पहाड़ी क्षेत्र में 80,000 की आबादी पर 30 शैय्या वाला एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (Community Health Centre) स्थापित किया जाना है । गया जिलान्तर्गत महकार, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहानाबाद जिला के शकुराबाद अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा पश्चिम चम्पारण जिला के बाल्मिकीनगर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमित किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है ।

2. फलतः गया जिला के खिजरसराय प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महकार, जहानाबाद जिलान्तर्गत रतनीफरीदपुर प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शकुराबाद तथा पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा–II प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाल्मिकीनगर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमित करते हुए IPHS मानक के अनुसार विभिन्न कोटि के कुल 28x3=84 (चौरासी) अतिरिक्त पद सृजित किए गए हैं:–

क्रम सं0	पदनाम	पदों की कुल संख्या IPHS मानक के अनुसार	पूर्व से सृजित पदों की संख्या	स्वीकृत होने वाले पदों की संख्या	पे बैण्ड	ग्रेड पे
1	चिकित्सा पदाधिकारी (जेनरल सर्जन, फिजिशियन, स्त्री रोग, शिशु रोग, मूर्च्छक, दंत चिकित्सक सहित 2 सामान्य चिकित्सक, आयुष चिकित्सक)	9×3=27	2×3=6	7×3=21	9300–34800	5400
2	स्वास्थ्य प्रशिक्षक	1×3=3	1×3=3	–	9300–34800	4200
3	रेडियोग्राफर	1×3=3	–	1×3=3	9300–34800	4200
4	ऑपथेलमिक असिस्टेन्ट	1×3=3	–	1×3=3	5200–20200	2800
5	फार्मासिस्ट (एक आयुष सहित)	2×3=6	1×3=3	1×3=3	5200–20200	2400
6	स्टाफ नर्स	10×3=30	2×3=6	8×3=24	5200–20200	2400
7	टेकनीशियन (लैब–2 एवं ओ0टी0–1)	3×3=9	1×3=3	2×3=6	5200–20200	2000
8	निम्नवर्गीय लिपिक (कार्यालय लेखा निबंधन कार्य हेतु)	4×3=12	1×3=3	3×3=9	5200–20200	1900
9	ड्रेसर	1×3=3	1×3=3	–	5200–20200	1900
10	वार्ड वॉय / अटेंडेन्ट	5×3=15	2×3=6	3×3=9	5200–20200	1800
11	अनुसेवक	3×3=9	1×3=3	2×3=6	5200–20200	1800
12	सफाई कर्मी	1×3=3	1×3=3	–	5200–20200	1800
	कुल–	41×3=123	13×3=39	28×3=84		

3. इन पदों के सृजन पर अनुमानित वार्षिक व्यय 2,46,38,040/–(दो करोड़ छियालीस लाख अड़तीस हजार चालीस) रुपये आंका गया है । एतद्संबंधी गैर–तकनीकी पदों के विरूद्ध नियुक्ति की कार्रवाई चिकित्सकों के उपलब्ध होने की स्थिति में तथा भवन निर्माण के बाद की जायेगी ।

4. एतद्संबंधी भारित राशि का वहन मांग संख्या–20, मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0001–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विपत्र कोड–N2210031100001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–2015 में उपबंधित राशि से अथवा अनुपूरक आगणन की राशि से विकलनीय होगा।

5. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायगी ।

6. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित संस्थान के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होगें तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगें ।

7. एतद् संबंधी प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति प्राप्त है ।

8. प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

9. इन पदों के सृजन किए जाने हेतु मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–17.12.2014 में मद संख्या–20 के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत किया गया है ।

10. संबंधित राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांकः–10/पद सृजन–20–04/2014 1086(10) /स्वा0, पटना, दिनांक– 21-01-15

प्रतिलिपि–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–17.12.2014 में मद संख्या–20 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/संबंधित क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं/संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2,4,6,7,10,16 एवं आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।